न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 04/2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/4

प्रार्थी :–

थानाधिकारी पुलिस थाना औ.क्षे. बासनी जिला पश्चिम जोधपुर कमिश्नरेट जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

भवानी शर्मा पुत्र पुखराज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सरकारी स्कूल के पास बासनी पुलिस थाना बासनी जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

अधिवक्ता श्री हरेन्द्र सिंह (अप्रार्थी की ओर से)

–: आदेश :– दिनांक :– 29.07.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बासनी जोधपुर पश्चिम की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर अवगत कराया कि दिनांक 19.03.2024 सरकारी स्कूल के पास बासनी गांव स्थित राजु किराणा एवं फलोर मिल्स नामक दुकान के मुख्य द्वार पर पहुचे तो दुकान के अंदर पीछे की तरफ बने एक कमरे में एक जवान उम्र का युवक घरेलु सिलेण्डर पर निप्पल लगाकर उस पर एक छोटी गैस टंकी रखकर उसमे गैस भरते पाया गया। दुकान की तलाशी लेने पर घरेलु व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, छोटी टंकिया, रिफिलिंग निप्पल, एक ईलेक्ट्रिानिक कांटा मिले जिन्हे चैक करने पर एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी का भरा हुआ जिसका वजन 24.400 किग्र, 04 घरेलु गैस सिलेण्डर भरे हुए जिनमें दो पर रिफिलिंग निप्पल लगी हुई कमशः– भारत गैस सिलेण्डर वजन 16.120 किग्रा, जिस पर रिफिलिंग निप्पल लगा हुआ, भारत गैस सिलेण्डर वजन 16.782 किग्रा. जिस पर रिफिलिंग निप्पल लगा हुआ, भारत गैस सिलेण्डर भरा हुआ जिसका वजन 28.600 किग्रा., एचपी गैस सिलेण्डर जिसका वजन 25.120 किग्रा, 01 इलेक्ट्रिानिक चार्टेबल कांटा वजन क्षमता 30 किग्रा, जिस पर फानिक्स लिखा मार्के का लेबल

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

लगा मिला। उक्त गैस सिलेण्डर, टंकिया, सामान आदि के जरिये गैस सिलेण्डरों से छोटी–छोटी टंकियों में गैस रिफिलिंग करने बाबत दुकानदार से वैद्य अनुमति का पूछा तो नहीं होना बताया। राजु किराणा एवं फलोर मिल्स किराणा स्टोर नामक दुकान का संचालक द्वारा अपनी दुकान में पीछे बने कमरे में घरेलु एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारण कर उन पर रिफिलिंग निप्पल लगाकर चोरी छिपे टंकियों में अवैध रूप से गैस भरकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए ज्वलनशील पदार्थ को उपेक्षापूर्ण तरीके से सिलेण्डरों से छोटी टंकियों में भरकर मानव जीवन को संकटाप्पन उत्पन्न करना पाया गया जो कि ईसी एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जब्तशुदा 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी का भरा हुंआ, 04 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रिानिक चार्टेबल काटें को राजसात किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अंप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरेन्द्र सिह द्वारा वकालतनामा पेश कर दिनांक 23.07.2024 को जवाब पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 29.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बतलाया कि प्रार्थी एक किराणे की दुकान का संचालन करता है। दुकान से जब्तशुदा टंकिया प्रार्थी के परिवारजन की ही घरेलु गैस कनेक्शन की टंकिया है एवं वाणिज्यिक टंकिया प्रार्थी के दुकान के पड़ौस में स्थित चाय की दुकान वाले की थी एवं कुछ दिन के लिये रखकर गया था। मौके से जब्तशुदा इलेक्ट्रिानिक चार्जेबल कांटा अत्यधिक पुराना होने से बिल उपलब्ध नहीं होना जाहीर किया तथा किराणे स्टोर में काम आने का कथन किया। जबाव के अन्त में बरामदशुदा गैस टंकियां एवं कांटे को सूपूर्द किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली एवं अप्रार्थी अधिवक्ता के जबाव का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि [illegible] के [illegible] एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के साथ–साथ एक इलेक्ट्रानिक [illegible]बल कांटा भी पाया गया। मौके पर उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के भण्डारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध कागजात पेश नहीं किये गये है तथा ना ही अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कोई वैध लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा किराणे की दुकान में अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण, अवैध क्रय–विक्रय तथा रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर से अन्य घरेलु गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने व उनका अवैद्य उपयोग करने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस एवं इलेक्ट्रानिक चार्जेबल कांटे को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी, औ.क्षे. बासनी जिला पश्चिम जोधपुर कमिश्नरेट जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि जब्तशुदा गैस टंकिया मय सामान को जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को सूपूर्द करने की कार्यवाही करे। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा इलेक्ट्रानिक चार्जेबल कांटे को नीलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की एक–एक प्रति थानाधिकारी, औ.क्षे. बासनी जिला पश्चिम जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर एवं जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:11
Reason: SelfAttested

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर